भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1392/ 2008

सुधीर कुमार जैन ...अपीलकर्ता (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य ...प्रतिवादी (ओं)

निर्णय

आर. बानुमथि, न्यायाधीश

1. यह अपील की आपराधिक अपील संख्या 1717/2003 में राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 03.04.2008 से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 और धारा 3 सपठित धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अपीलकर्ता-आरोपी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिनांक 17.04.2003 को प्रातः लगभग 09.45 बजे मृतक राजेन्द्र साहू अपने ऑटो रिक्शा में बहेती अस्पताल के समीप ऑटो स्टैंड पर आया। दोपहर करीब 12 बजे जब वह अपने ऑटो रिक्शा में बैठा था, तो उन्होंने एक

मारुति 800 कार नंबर आरजे-06सी-3432 में बैठे तीन व्यक्तियों को आते हुए देखा। उन कार सवारों में से एक ने कार के सामने की बाईं ओर का दरवाजा खोला और राजेंद्र साहू को कार के करीब आने का इशारा किया। मृतक - राजेंद्र साहू अपने ऑटो रिक्शा से निकल कर कार के पास चला गया। उसी समय, देसी कट्टा से लैस उक्त कार के बाईं ओर बैठे अपीलकर्ता ने मृतक पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नाभि के ठीक ऊपर चोटें आईं और खून निकलने लगा। आवाज सुनकर फारूक (पीडब्लू-17), दिलीप कुमार (पीडब्लू-9), शंभू (पीडब्लू-2) व इकबाल (पीडब्लू-4) दौड़ते हुए आए, तो कार में बैठे लोग कार लेकर भाग गए। इकबाल (पीडब्लू-4) मृतक को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गया। अस्पताल में पीडब्लू-22 एएसआई ने मृतक का पर्चा बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इस दौरान मृतक ने दम तोड़ दिया तो एफआईआर को धारा 302 आईपीसी में बदल दिया गया। डॉ. आर.के.शर्मा (पीडब्लू-26), जिन्होंने पोस्ट-मॉर्टम किया था, ने कहा कि मौत का कारण आग्नेयास्त्रों से आंतों और लीवर में लगी चोटों के कारण आया शॉक था, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। अनुसंधान पूर्ण होने पर, अपीलकर्ता अर्थात सुधीर कुमार जैन और सह-आरोपी शैलेन्द्र गौतम के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया।

2. विचारण न्यायालय में चश्मदीद गवाह फारूक (पीडब्लू-17), दिलीप कुमार (पीडब्लू-9), शंभू (पीडब्लू-2) और इकबाल (पीडब्लू-4), जो मृतक को अस्पताल ले गए थे, का परीक्षण किया गया। सभी गवाह अर्थात फारूक (पीडब्लू-17), दिलीप कुमार (पीडब्लू-9), शंभू (पीडब्लू-2) और इकबाल (पीडब्लू-4) मुकर गए। अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाहों के रूप में हरिशंकर (पीडब्लू-3) और नन्नू खान (पीडब्लू-5) का भी परीक्षण किया जिन्होंने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष पीडब्लू-22 एएसआई द्वारा दर्ज मृतक राजेंद्र साहू के परचा ब्यान - मृत्युकालिक बयान पर निर्भर था। सुरेश कुमार, कांस्टेबल (पीडब्लू-18) ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह आरोपी के साथ मारुति कार में यात्रा कर रहा था। पीडब्लू-18 सिपाही ने आगे बताया कि दोपहर लगभग 12 बजे जब वे बहेती अस्पताल के पास आए तो वह मारुति कार से उतर गया और चलने लगा। आरोपियों में से एक ने ऑटो चालक को बुलाया और उसके बाद सिपाही (पीडब्लू-18) ने फायरिंग की आवाज सुनी। पीडब्लू-18 ने बताया कि जब वह मुड़ा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और जिस कार से वह उतरा वह वहीं खड़ी थी और पीडब्लू--18 वहां से हटकर किशोर न्यायालय में चला गया। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक के परचा ब्यान कथन की पुष्टि पीडब्लू-18 कांस्टेबल के साक्ष्य द्वारा की गई थी जिसने आरोपी के साथ मारुति

कार में यात्रा की थी। परचा ब्यान और पीडब्लू-18 कांस्टेबल के साक्ष्य और अपीलार्थी-आरोपी से देशी पिस्तौल की बरामदगी के आधार पर, विचारण अदालत ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विचारण अदालत ने अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 3 सपठित 25 के तहत भी दोषी ठहराया और उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई और डिफ़ॉल्ट क्लॉज के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विचारण अदालत ने सह आरोपी शैलेंद्र गौतम को बरी कर दिया। अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी।

3. हमने सुश्री गौरी करुणा दास मोहंती, विद्वान अधिवक्ता को अपीलकर्ता की ओर से तथा श्री हर्ष विनय, प्रतिवादी राज्य राजस्थान की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पीडब्लू-22 एएसआई द्वारा दर्ज मृतक के पर्चा ब्यान पर भरोसा किया। बेशक, डॉ. रेणु रांका (पीडब्लू-28) ने कहा कि परचा बयान दर्ज करते समय मृतक राजेंद्र साहू होश में थे। पर्चा बयान में, मृतक राजेंद्र साहू ने हालांकि घटना के बारे में बताया और कार में रहने वाले लोगों में से एक ने फायरिंग की, लेकिन न तो हमलावरों का नाम लिया और न ही कार के उन लोगों की

पहचान का उल्लेख किया जिन्होंने दरवाजा खोला और उस पर गोली चलाई। चूंकि मृतक ने हमलावरों के नामों का उल्लेख नहीं किया है, प्राथमिकी में अपीलकर्ता-आरोपी और सह-आरोपी शैलेंद्र गौतम के नामों का भी उल्लेख नहीं है। जिन चश्मदीद गवाहों का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया, उनके नाम फारूक (पीडब्लू-17), दिलीप कुमार (पीडब्लू-9), शंभू (पीडब्लू--2) और दो अन्य गवाह हैं। हरिशंकर (पीडब्लू-3) और नन्नू खान (पीडब्लू-5) ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और उन सभी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किसी भी चश्मदीद गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए साक्षी सुरेश कुमार, कांस्टेबल (पीडब्लू-18) की साक्ष्य हैं, जिन्होंने आरोपी के साथ मारुति कार पंजीकरण संख्या आरजे-06सी 3432 में यात्रा करने का दावा किया था। पीडब्लू-18 ने बताया कि न्यायालय जाने के रास्ते में वह आरोपी के साथ कार में गया और बहेती अस्पताल के पास उतर कर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब वह मुड़ा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया; पर उसने देखा कि जिस कार से वह उतरा था, वह वहीं खड़ी थी। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से पीडब्लू-18 कांस्टेबल के साक्ष्य पर भरोसा किया और इसे परचा बयान को प्रमाणित करने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में लिया। यह नोट करना

प्रासंगिक है कि पीडब्लू-18 कांस्टेबल ने यद्यपि दावा किया है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी और वहां कार खड़ी देखी थी, उसने यथाशीघ्र घटना के संबंध में अपना बयान नहीं दिया है। हालांकि घटना 17.04.2003 की थी, उसका बयान लगभग 18 दिनों के बाद यानी 04.05.2003 के बाद दर्ज किया गया था। पीडब्लू-18 ने अपने साक्ष्य में दावा किया कि वह न्यायालय जा रहा था, वह सादे कपड़ों में था और उसने अपनी वर्दी बैग में रखी थी। पीडब्लू-18 कांस्टेबल के बयान दर्ज करने में देरी और घटना के बारे में पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट नहीं करने से पीडब्लू-18 की गवाही की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

6. अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया अन्य साक्ष्य 12 बोर की देसी पिस्तौल की बरामदगी है। यह बताया जाना है कि प्रदर्श पी-15 (फर्द बरामदगी) के तहत अभियुक्तों से देशी पिस्तौल की बरामदगी के लिए गवाहों, अर्थात् महेंद्र गुर्जर (पीडब्ल्यू-11) और महेंद्र मयूरी (पीडब्ल्यू-12) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। पीडब्लू-12 पक्षद्रोही हो गया; जबकि पीडब्लू-11 ने कहा कि उसने पुलिस स्टेशन में प्रदर्श पी-15 (फर्द बरामदगी) में हस्ताक्षर किए हैं। बेशक, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सिर्फ इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों ने फर्द बरामदगी का समर्थन नहीं किया है, बरामदगी के मामले में अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह

नहीं किया जा सकता है। बरामदगी और प्रदर्श पी-37 (बैलिस्टिक रिपोर्ट) को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि A, B और C के रूप में चिह्नित तीन पैकेट बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्ल्यू-25) को भेजे गए थे। लेखों का विवरण निम्नानुसार है:

पैकेट 'ए'में सीसे की दो गोलियां थीं

पैकेट 'बी'में सीसे की उन्नीस गोलियां थीं

पैकेट 'सी'में 12 बोर की एक देसी पिस्तौल थी, जिस पर डब्ल्यू/1 लिखा हुआ था

देशी पिस्टल और अन्य पैकेटों की जांच करने पर, पीडब्लू-25 ने निम्नानुसार राय दी:

1. पैकेट 'सी'से एक 12-बोर देशी पिस्तौल (डब्ल्यू/1) इसकी तंत्र में कुछ दोष के कारण वर्तमान स्थिति में एक उपयोगी आग्नेयास्त्र नहीं है। हालांकि, मरम्मत के बाद इसे उपयोग योग्य बनाया जा सकता है।

2. बैरल अवशेषों की जांच से पता चलता है कि प्रस्तुत 12-बोर देशी पिस्तौल (डब्ल्यू/1) को निकाल दिया गया था। हालांकि, इसकी आखिरी आग के निश्चित समय का पता नहीं चल सका है।

3. पैकेट 'ए'और 'बी'से इक्कीस लीड छर्रों का सामान्य रूप से 12-बोर गोला बारूद में उपयोग किया जाता है। इन छर्रों को पैकेट 'सी'से 12 बोर की देशी पिस्टल (डब्ल्यू/1) से दागा जा सकता था।

7. आरोपी को उसी दिन यानी 17.04.2003 को शाम 5.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके तुरंत बाद 12 बोर की देसी पिस्तौल बरामद कर ली गई. बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय है कि पैकेट 'सी'से बनी 12 बोर की देशी पिस्तौल वर्तमान स्थिति में उसके तंत्र में कुछ दोष के कारण काम करने योग्य बन्दूक नहीं है, जो घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में संदेह पैदा करता है। बेशक पीडब्लू-25 ने कहा है कि पैकेट 'ए'और 'बी'में निहित इक्कीस लीड छर्रों का उपयोग आम तौर पर 12-बोर गोला बारूद में किया जाता है और ये छर्रे पैकेट 'सी'के 12 बोर के देसी पिस्टल (डब्ल्यू/1) से दागे जा सकते थे। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद 12 बोर की देसी पिस्तौल (डब्ल्यू/1) उसके तंत्र में कुछ दोषों के कारण काम करने की स्थिति में नहीं थी, इससे हथियार के उपयोगकर्ता के बारे में संदेह पैदा होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी चश्मदीद गवाह मुकर गए हैं, हमारे विचार में, हथियार की बरामदगी और सजा को बनाए रखने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय पर भरोसा करना असुरक्षित है। प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतक राजेंद्र साहू ने मारुति कार नंबर आरजे-06सी-3432 के बारे में कहा है, जो अपीलकर्ता के पिता निरंजन कुमार के सामने बरामद की थी। यह इंगित किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कार की आरसी पेश नहीं की है

कि यह कार निरंजन कुमार के नाम पर है। किसी भी सूरत में, अकेले अपीलकर्ता के पिता के सामने मारुति कार की बरामदगी के बारे में सबूत दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं।

8. परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए और यह कि सभी चश्मदीद गवाह मुकर गए हैं और प्राथमिकी में अन्य परिस्थितियों के साथ अभियुक्तों के नामों का उल्लेख नहीं है, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित नहीं किया है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-18 कांस्टेबल के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधार बनाकर गलती की है और जो हमारे विचार में कायम नहीं रखा जा सकता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है और उसे खारिज किया जा सकता है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दोषमुक्त किया जाता है।

9. तद्नुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश [आर बानुमथि]

न्यायाधीश [ए.एस. बोपन्ना]

नयी दिल्ली, 31 जुलाई, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।